सरकार v/s गोपीराम

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय जिला कलक्टर नागौर रसद अपील सं. - 7/2024 (CLMS No- 2024/12)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
03.12.2024	पत्रावली आज पेश हुई। यह प्रकरण मूल रूप से अतिरिक्त जिला कलक्टर,डीडवाना के न्यायालय में दर्ज था परन्तु डीडवाना–कुचामन जिला नव सृजित होने से तथा प्रकरण जायल तहसील,जिला–नागौर के क्षेत्र का होने से इस न्यायालय को स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुआ हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिऐ नोटिस प्रकरण में पैरवी हेतु सूचित किया गया। अप्रार्थी का नोटिस तामिल उसके पुत्र से हो जाने के बाजवूद उनकी ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व दिनांक 30.07.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। प्रार्थी की ओर से प्रर्वतन निरीक्षक रसद उपस्थित। अप्रार्थी इस प्रकरण की पत्रावली में बावजूद पर्याप्त तामील अनुपस्थित रहा हैं। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से बहस सुनी गई । प्रार्थी की ओर से उप0 प्रवर्तन निरीक्षक ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 17.12.2022 को तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक रामावतार पूनियां द्वारा गैर सायल के घर कुंजल कॉलोनी जायल पर आकस्मिक जांच की गई जिसमें गैर सायल के घर के पिछे बने बाड़े के निरीक्षण के दोराने एक सिलेण्डर एक विद्युत मोटर के दोनों सिरोह पर लगे दो प्लास्टिक की लगभग चार फिट पाईप व पाईप के सिरे पर रेग्यूलेटर से लगा पाया गया। एक अन्य इलेक्ट्रोनिक मोटर जिसके दोनों सिरों पर दो पाईप मय रेग्यूलेटर से जुड़े हुए एवं एक वायर इलेक्ट्रोनिक मोटर जिसके दोनों सिरों पर दो पाईप मय रेग्यूलेटर से जुड़े हुए एवं एक वायर को इलेक्ट्रॉनिक मोटर बोर्ड से लगा हुआ पाया गया। मौके पर एचपी कम्पनी के 16 सिलेण्डर सीलबंद भरे हुए व 6 खाली सिलेण्डर,एक भट्टी से प्लास्टिक पाईप व रेग्यूलेटर से जुड़ा पाया गया। मौके पर एचपी गैस एजेन्सी के संचालन श्री रणजीत को बुलाया गया। श्री गोपीराम ने बताया कि वह गैस गाड़ियों में भरने का काम पिछले 2–3 वर्ष से करता करता आ रहा हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया। गैर सायल से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं गाड़ियों में गैस भरने से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने उनके पास गैर के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर घरेलू गैस के 23 सिलेण्डर मय गैस एवं दो विद्युत मोटर 0.5 एचपी जिसके दोनों सिरों पर लगे प्लास्टिक पाईप व रेग्यूलेटर व 2–2 मीटर का इलेक्ट्रोनिक वायर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। तथा जब्त सुदा सामग्री मैसर्स करणी एचपी गैस एजेन्सी जायल के प्रतिनिधि श्री रणजीत को सुपुर्दगी में दिये जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों एवं सामग्री का विवरण हमनें प्रार्थना–पत्र में अंकित किया हैं। इस प्रकार गैर सायल का यह कृत्य लिम्वीफाइड पैट्रोलियम गैर(रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर–2000 के क्लॉज 3(c),7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं,जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रकरण में जब्त सुदा 23 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं दो विद्युत मोटर 0.5 एचपी जिसके दोनों सिरों पर लगे प्लास्टिक पाईप व रेग्यूलेटर व 2–2 मीटर का इलेक्ट्रोनिक वायर को धारा 6ए,आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत,समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किये जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जब्ती सामग्री के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई हैं,जिससे प्रकरण में जब्त सामग्री अवैद्य हैं तथा गैर सायल द्वारा किया गया यह कृत्य लिम्वीफाइड पैट्रोलियम गैर(रेग्यूलेशन	

कलक्टर नागौर

ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर–2000 के क्लॉज (c),7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं,जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रार्थना–पत्र में दर्ज 23 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं जब्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त 23 गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जावें तथा गैस सिलेण्डर में पायी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। इनके अलावा अन्य अवैध सामग्री एवं 0.05 एची विद्युत मोटरों की नियमानुसार निलामी की जावें। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण एवं निलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के निर्देश जिला रसद अधिकारी, नागौर को दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,नागौर

कलक्टर नागौर